आजादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

संदेश

"हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर 2022 के पावन अवसर पर जिला न्यायालय दिल्ली के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।

भारत की सभी भाषाएं हमारे लिये आदरणीय हैं, लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिये हिन्दी भाषा का योगदान अतुलनीय है। हिन्दी भाषा अपने आरम्भ से ही राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रुप मे विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हिन्दी भाषा हमारी पहचान और परिभाषा है। 14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा के रुप में स्वीकार किया था। इसी संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले हिन्दी दिवस का विशेष महत्व है।

राजभाषा के रुप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाये गए अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए तथा राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन उसी दृढ़ता और तत्परता के साथ करना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का पालन करते हैं।

आइए इस हिन्दी दिवस पर हम राजभाषा और जनभाषा दोनों रुपों में हिन्दी के विकास और प्रयोग के प्रति अपने आपको समर्पित करें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

विमल यादव

(विमल कुमार यादव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर जिला, रोहिणी जिला न्यायालय, दिल्ली

२६७६-२६८३

संख्या :हिन्दी(उ.)/रोहिणी/2022 दिल्ली, दिनांक 13/09/22

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त परिपत्र की प्रति निम्न को प्रेषित की जाती है:-

1. केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु ।
5. अभिलेख अधिकारी, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
6. निजी सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

नोडल अधिकारी (हिन्दी अनुभाग)/
अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी
उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली